No. 44-14/2009-SPB-I
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Posts

Dak Bhavan, New Delhi-110 001
Dated: 28.1.2011.

To

1. All Chief Postmasters General
2. All Postmaster General
3. The Director, PSCI, Ghaziabad

Subject: Department of Posts ((Postman and Mail Guard) Recruitment Rules, 2010.

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith a copy of revised Recruitment Rules dated 16.12.2010 for the posts of Postman and Mail Guard dated 16.12.2010 notified in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3, Sub-section (i) dated 20/12/2010.

It is requested that the provisions of Recruitment Rules may be brought to the notice of all concerned

Yours faithfully,

Suraj Bhan

Encl.As above

(Suraj Bhan)
Assistant Director General (SPN)

Copy for information to:-

1. Secretary (P)
2. All Members of the Postal Services Board/JS & FA
3. Secretary (PSB)
4. CGM(BD)/CGM(MB)/CGM(PLI)/Director Postal Staff College, India, Ghaziabad.
5. All Dy. Directors General
6. Pr. Director of Audit(Postal), Delhi-54
7. Additional Director General, APS,R.K. Puram, New Delhi
8. Chief Engineer (Civil), HQ

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 682] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2010/अग्रहायण 29, 1932
No. 682] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2010/AGRAHAYANA 29, 1932

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 983(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय डाक एवं तार (पोस्टमैन/मेलगार्ड/हैड मेलगार्ड) भर्ती नियम, 1969 के अधिक्रमण में और उन बातों के सिवाय जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतद्द्वारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग में पोस्टमैन तथा मेलगार्ड के पदों से जुड़ी भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग, (पोस्टमैन और मेलगार्ड) भर्ती नियम, 2010 होगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ जुड़ी अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **सेना डाक सेवा में सेवा प्रदान करने की अपेक्षा.**—कथित अनुसूची में उल्लिखित पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति होने पर, वह भारत या विदेश में जैसा भी अपेक्षित होगा, कार्य करने का पात्र होगा ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और व्यावृत्ति उन रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियां, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा गैर-चयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. पोस्टमैन	45899* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5200-20200 रु. (वेतन बैंड-1) ग्रेड वेतन 2000 रु.	चयन	नहीं	(i) 18 से 27 वर्ष । (अनुसूचति जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्षों तक की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्षों तक की छूट तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक की आयु) । **टिप्पण** : (i) आयु-सीमा निर्धारण में निर्णायक तिथि, प्रत्येक मामले में भारत में उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उप-खांड, अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि होगी) । (ii) ग्रामीण डाक सेवकों के लिए आयु-सीमा रिक्तियों वाले वर्ष की पहली जनवरी को 50 वर्ष है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष तक की छूट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष तक की छूट प्राप्त है) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु-सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रीकुलेशन या समकक्ष । केवल ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीधी भर्ती के लिए कोई शैक्षिक अर्हता निर्धारित नहीं है ।	लागू नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
(क) 25% भर्ती करने वाले डिवीजन के मल्टी टास्किंग स्टाफ में से चयन करके पदोन्नति द्वारा ; (ख) 25% भर्ती करने वाले डिवीजन के ऐसे मल्टी टास्किंग स्टाफ में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा जो रिक्ति वाले वर्ष की पहली जनवरी को तत्कालीन ग्रुप 'घ' पद पर कुल की गई सेवा, यदि कोई हो, के साथ ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा प्राप्त हों, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा; (ग) 25% भर्ती करने वाले डिवीजन के ऐसे ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी जनवरी को इस हैसियत के साथ कम से कम 5 वर्ष तक कार्य किया हो, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा; *ग्रामीण डाक सेवक सिविल पद धारक होते हैं परन्तु वे नियमित सिविल सेवा के बाहर होते हैं, जिसके कारण से उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी । (घ) 25% सीधी भर्ती द्वारा खुली प्रतियोगिता से । **टिप्पण 1 :** सीधी भर्ती की स्कीम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी ।	(i) 25% भर्ती करने वाले डिवीजन के ऐसे मल्टी टास्किंग स्टाफ में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने ग्रेड में की गई सेवा सहित तत्कालीन ग्रुप 'घ' पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो । **टिप्पणी 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, पर भी अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए भर्ती द्वारा जिन्होंने रिक्ति उत्पन्न होने वाले वर्ष की पहली विचार किया जाएगा । (ii) 25% भर्ती करने वाले डिवीजन के ऐसे मल्टी टास्किंग स्टाफ में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा जिन्होंने तत्कालीन ग्रुप 'घ' पद पर कुल की गई नियमित सेवा यदि कोई हो के साथ ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो । **टिप्पणी 2 :** (ऊपर (i) और (ii) पर लागू) । प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों के आधार पर तत्स्थानी वेतन/वेतनमान विस्तारित में की गई सेवा समझा जाएगा । **टिप्पणी 3 :** सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा स्कीम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)		(14)
1. निदेशक डाक सेवा (मुख्यालय)	—अध्यक्ष	लागू नहीं
2. विभाग में वरिष्ठ समयमान/कनिष्ठ समयमान स्तर के दो अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी	—सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. मेलगार्ड	1870* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	5200-20200 रु. (वेतन बैंड-1) ग्रेड वेतन 2000 रु.	चयन	नहीं	18 से 27 वर्ष । (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्षों तक की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्षों तक की छूट तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक की आयु ।) **टिप्पणी** : (i)आयु-सीमा निर्धारण में निणर्ण्यक तिथि, प्रत्येक मामले में भारत में उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि होगी) । (ii) ग्रामीण डाक सेवकों के लिए आयु-सीमा रिक्तियों वाले वर्ष की पहली जनवरी को 50 वर्ष है भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष तक की छूट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष तक की छूट प्राप्त है) ।

(8)	(9)	(10)
खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रीकुलेशन या समकक्ष । केवल ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती के लिए कोई शैक्षिक अर्हता निर्धारित नहीं है ।	नहीं	दो वर्ष

(11)	(12)
(i) 25% भर्ती करने वाले डिवीजन के मल्टी टार्स्किंग स्टाफ में से पदोन्नति द्वारा ;	(i) 25% भर्ती करने वाले डिवीजन के मल्टी टार्स्किंग स्टाफ में से पदोन्नति द्वारा जिसमें ग्रेड में की गई सेवा सहित तत्कालीन ग्रुप 'घ' पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो ।

(11)	(12)
(ii) 25% भर्ती करने वाले डिवीजन के ऐसे मल्टी टास्किंग स्टाफ में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा जो रिक्ति वाले वर्ष की पहली जनवरी को तत्कालीन ग्रुप 'घ' पद पर कुल की गई सेवा, यदि कोई हो, के साथ ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा प्राप्त हों, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ; (iii) 25% भर्ती करने वाले डिवीजन के ऐसे ग्रामीण डाक सेवकों* के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा जिन्होंने रिक्ति उत्पन्न होने वाले वर्ष की पहली जनवरी को इस हैसियत से कम से कम 5 वर्ष तक कार्य किया हो, जिसके न होने पर उन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीधी भर्ती द्वारा जिन्होंने रेल डाक सेवा/संबंधित क्षेत्र के डाक डिवीजन में कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो; * ग्रामीण डाक सेवक सिविल पद धारक होते हैं परन्तु वे नियमित सिविल सेवा के बाहर होते हैं, जिसके कारण से उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी ; (iv) 25% सीधी भर्ती द्वारा खुली प्रतियोगिता से । जिसके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मैट्रीकुलेशन है । **टिप्पणी 1** : सीधी भर्ती की स्कीम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी ।	**टिप्पणी 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, पर भी अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा । (ii) 25% भर्ती करने वाले डिवीजन के मल्टी टास्किंग स्टाफ में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा तत्कालीन ग्रुप 'घ' पद पर कुल की गई नियमित सेवा यदि कोई हो के साथ ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो । **टिप्पणी-2** : (ऊपर (i) और (ii) पर लागू) । प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों के आधार पर तत्स्थानी वेतन/वेतनमान विस्तारित में की गई सेवा समझा जाएगा । **टिप्पणी 3** : सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा स्कीम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी ।

(13)		(14)
1. निदेशक डाक सेवा (मुख्यालय)	—अध्यक्ष	लागू नहीं
2. वरिष्ठ समयमान/कनिष्ठ समयमान स्तर के दो अधिकारी अथवा विभाग में समकक्ष स्तर के अधिकारी	—सदस्य	

[फा. सं. 44-14/2009-एसपीबी-I]

सूरज भान, सहायक महानिदेशक (एसपीएन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2010

G.S.R. 983(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Posts and Telegraphs (Postmen/Mail Guards/Head Mail Guards) Recruitment Rules, 1969, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Postman and Mail Guards in the Department of Posts, in the Ministry of Communications and Information Technology, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Posts (Postman and Mail Guard) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, its classification and Pay Band and Grade Pay/Scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts **shall be as specified** in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4814 GI/10-2

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Requirement to serve in the Army Postal Service.**— Any person appointed to the posts specified in the said Schedule shall be liable to serve in the Army Postal Service in India or abroad, as required.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Postman	45899* (2010) *Subject to Variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial)	Rs. 5200-20200 (Pay Band-1) Grade Pay Rs. 2000	Selection	No	(i) Between 18 and 27 years. (Relaxable for candidates belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe up to five years for candidates belonging to other Backward Castes up to three years and for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions issued by the Central Government. **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)
(ii) The age limit for appointment of Gramin Dak Sevaks shall be 50 years as on the 1st day of January of the year of the vacancy(ies) (Relaxable for those belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe up to five years and for those belonging to other Backward Castes up to three years).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Matriculation or Equivalent from a recognized Board or University for direct recruitment from open market. No educational qualification is prescribed for direct recruitment limited to Gramin Dak Sevaks.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
(a) 25% by promotion by selection of Multi Tasking Staff of the recruiting Division; (b) 25% on the basis of Limited Departmental Competitive Examination by promotion from amongst Multi Tasking Staff of the recruiting Division with three years regular service in the grade including service put in, if any, against an erstwhile Group 'D' post on regular basis as on the 1st January of the year to which the vacancy(ies) belong failing which by direct recruitment. (c) 25% by direct recruitment on the basis of Competitive examination limited to Gramin Dak Sevaks* of the recruiting Division who have worked for at least five years in that capacity as on the 1st day of January of the year to which the vacancy(ies) belong failing which by direct recruitment ; * Gramin Dak Sevaks are holders of Civil posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment will be by direct recruitment. (d) 25% by direct recruitment from open market. **Note 1:** The scheme for Direct Recruitment shall be as per administrative instructions issued by the Department from time to time.	(i) 25% by promotion of Multi Tasking Staff of the recruiting Division with three years regular service in the grade including service put in, if any, against an erstwhile Group D post on rugular basis. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the rquisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. (ii) 25% on the basis of Limited Departmental Competitive Examination by promotion from amongst Multi Tasking Staff of the recruiting Division with three years regular service in the grade including service put in, if any, against an erstwhile Group 'D' post on regular basis. **Note 2 :** [Applicable for (i) and (ii) above] : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

4814 GI/10-3

(12)
Note 3 : The scheme for Limited Departmental Competitive Examination shall be as per administrative instructions issued by the Department from time to time.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
1. Director of Postal Services (Headquarters) —Chairperson 2. Two officers of the level of Senior Time Scale/Junior Time Scale Or equivalent of the Department —Members	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Mail Guard	1870 (2010)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial)	Rs. 5200–20200 (Pay Band-I) Grade Pay-Rs. 2000	Seleciton	No	Between 18 and 27 years. (Relaxable for candidates belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe up to five years for candidates belonging to Other Backward Castes up to three years and for Government servants up to 40 years in accodance with the instructions issued by the Central Government. **Note** : The crucial date for determining the age-limit shall in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). (ii) The age limit for appointment of Gramin Dak Sevaks shall be 50 years as on 1st January of the year of the vacancy(ies) (Relaxable for those belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe upto five years and for those belonging to Other Backward Castes upto three years in accordance with the instructions issued by Government of India.)

(8)	(9)	(10)
Matriculation or Equivalent from a recognized Board or University for direct recruitment from open market. No educational qualification is prescribed for direct recruitment on the basis of Competitive examination limited to Gramin Dak Sevaks.	No	Two years

(11)	(12)
(i) 25% by promotion of Multi Tasking Staff of the recruiting Division ; (ii) 25% on the basis of Limited Departmental Competitive Examination by promotion from amongst Multi Tasking Staff of the recruiting Division with three years regular service in the grade including service put in, if any, against an erstwhile Group 'D' post on regular basis as on the 1st January of the year to which the vacancy(ies) belong failing which by direct recruitment. (iii) 25% by direct recruitment on the basis of Competitive examination limited to Gramin Dak Sevaks* of the recruiting Division who have worked for at least five years in that capacity as on 1st January of the year to which the vacancy(ies) belong failing which by direct recruitment of Gramin Dak Sevaks who have worked for at least five years in the Railway Mail Service/Postal Division in the Region ; *Garmin Dak Sevaks are holders of civil posts but they are outside the regular civil service due to which their appointment will be by direct recruitment. (iv) 25% by direct recruitment from open market with matriculation as minimum educational qualification. **Note 1:** The scheme for Direct Recruitment examination shall be as per administrative instructions issued by the Department from time to time.	(i) 25% by promotion of Multi Tasking Staff of the recruiting Division with three years regular service in the grade including service put in, if any, against an erstwhile Group D post on rugular basis. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the rquisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. (ii) 25% on the basis of Limited Departmental Competitive Examination by promotion from amongst Multi Tasking Staff of the recruiting Division with three years regular service in the grade including service put in, if any, against an erstwhile Group 'D' post on regular basis. **Note 2 :** [Applicable to (i) and (ii) above] : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Note 3 :** The scheme for Limited Departmental Competitive Examination shall be as per administrative instructions issued by the Department from time to time.

(13)		(14)
1. Director of Postal Services (Headquarters)	—Chairperson	Not applicable.
2. Two officers of the leval of Senior Time Scale/Junior Time Scale or equivalent of the Department	—Members	

[F. No. 44-14/2009-SPB-I]

SURAJ BHAN, Asstt. Director General (Spn)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.